डायरी संख्या 1750 / सी0सी0सी0
दिनांक 02/04/18

Phone: (Office) 0522-2287100
(Office) 0522-2287233
Fax : (Office) 0522-2286471
E-mail: upgwd.in@gmail.com
Website-http://upgwd.gov.in

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
9वाँ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या–476 /भू0ज0वि0/बी–1/डब्लू0(विश्व बैंक परियोजना), दिनांक/लखनऊ/मार्च 22 ,2018

-: कार्यालय–ज्ञाप :-

उ0प्र0 शासन सिंचाई अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–58/2018/882/18–27–सिं0–4–72(डब्लू)/09, दिनांक 20–03–2018 एवं मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–122/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 01–02–2018 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0–108/2017/1005/17–27–सिं0–4–72(डब्लू0)/09, दिनांक 16–05–2017 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–94 के लेखाशीर्षक–4700–32–0051–97–9702–24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 के कम्पोनेन्ट बी–3 हेतु वित्तीय स्वीकृति रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त अवमुक्त धनराशि को परियोजना कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु शासनादेश सं0–5146/13–27–सिं0–4–72(डब्लू)/09, दिनांक 17–03–2013 में उल्लिखित शर्ते लागू रहेंगी। इस कार्यालय के ज्ञाप सं0–473/भू0ज0वि0/बी–1/डब्लू0(विश्व बैंक परियोजना), दिनांक 21मार्च, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निदेशालय के आवंटन में से अधीनस्थ खण्डों को आवंटित एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1– प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के अध्याय–12 के प्रस्तर–318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2– मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने, कार्य ससमय पूर्ण कराये जाने एवं स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजना पर ही करने का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा। अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का होगा।

3– परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियां, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं

4– स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0/डिमाजिट में नहीं रखी जाएगी, स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जाएगी।

5– उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–8/2017/बी–1–1190/दस–2017–231/2017, दिनांक 03–08–2017 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत एवं विश्व बैंक की गाइड लाइन्स एवं उनके इम्प्लीमेन्टेशन रिव्यू एवं सपोर्ट मिशन में उठाये गये बिन्दुओं का समाधन करते हुए ही किया जाएगा तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण–पत्र एवं विश्व बैंक की टीम, उनके प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

6– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

7– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8– कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराए जाएंगे।

SECC(1)10